सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-614/DL/6/2022-APCR Date : 22.05.2024

सेवा मे,

श्री संजय अरोरा
पुलिस आयुक्त,
पुलिस आयुक्त का कार्यालय,
दिल्ली पुलिस मुख्यालय,,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001
Email Id: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in

विषय: पडोसी द्वारा प्रताड़ित करने, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली गलौच करने, व शिकायत दर्ज करने पर धमकाने के सम्बन्ध में श्रीमती रिंकी, पत्नी श्री चेतन, 81-बी, गली नंबर 5, ऐ - ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली - 110094 का अभ्यावेदन

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 10.05.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट/की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि:

श्रीमती रिंकी,
पत्नी श्री चेतन
81-बी, गली नंबर 5, ऐ - ब्लॉक,
अम्बिका विहार, शिव विहार,
करावल नगर, दिल्ली - 110094
मोबाइल नंबर: 8810455517

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

(1) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(2) NIC for uploading

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NCST/ATY-614/DL/6/2022-APCR

श्रीमति रिंकी पत्नी श्री चेतन, 81-बी, गली नंबर-5, ए ब्लॉक, अंबिका विहार, शिव विहार, करावल नगर, नई दिल्ली को प्रताड़ित करने, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने, गाली- गलोच कर मार-पीट करने व उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करने के मामले मे आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षतामें दिनांक 10.05.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग का कार्यवृत।

सिटिंग की तिथि : 10.05.2024 - 04:00 P.M.
सिटिंग मे उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

श्रीमती रिंकी, पत्नी श्री चेतन, 81-बी, गली नंबर 5, ऐ -ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली से शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके पड़ोस में श्री भगवती व उनका परिवार,मनोज व सरला का परिवार उन्हें गंदी- गंदी गाली देते व झगड़ा करते हैं, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हैं और कहते हैं कि घर छोड़कर चले जाओ और ये भी कहते हैं की पुलिस से उनकी मिली भगत है इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये लोग उनके छोटे छोटे बच्चों पर गलत नज़र से ध्यान देते हैं। इन लोगों ने उनके खिलाफ थाना करावल नगर में भी झूठी शिकायत कर रखी है जिस पर पुलिस उनके परिवार को परेशान करती रहती है।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा 15 दिन की अवधि मे रिपोर्ट मंगाने के किए पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस को दिनांक 26/09/2022 को नोटिस भेजा गया था पर दिल्ली पुलिस से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

3. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 10.05.2024 को पुलिस आयुक्त, श्री संजय अरोरा, दिल्ली पुलिस के साथ आयोग मे सुनवाई/ सिटिंग तय की गयी।

4. प्रकरण की सुनवाई में श्री डॉ. जॉय तिर्की, डी.सी.पी. नॉर्थ ईस्ट जिला और सहयोगी श्री विजय पाल सिंह तोमर, ए.सी.पी, दिल्ली पुलिस व श्री विपिन यादव एस.एच.ओ, करावल नगर, दिल्ली पुलिस की ओर से उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता के पिताजी श्री ओमवीर सिंह आयोग के समक्ष उपस्थित हुए जिन्होंने अवगत कराया कि उक्त आरोपियों द्वारा दिनांक 23.04.2024 को उनकी पुत्री रिंकी के साथ गंभीर रूप से मार-पीट की गई जिसके कारण उसे 20 टांके आए । डॉ. जॉय तिर्की, पुलिस उपायुक्त. नॉर्थ ईस्ट जिला, दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया कि इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुराने मामले में आवेदिका ने लिख कर दिया था की दोनों पक्षों में सम्झौता हो गया है और वो कारवाई नहीं चाहती है।

Contd.....P/2

5. सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया है की पुलिस द्वारा प्रस्तुत समझौता संबंधी दस्तावेजों में शिकायतकर्ता श्रीमति रिंकि के हस्ताक्षर अलग- अलग प्रतीत होते है।

6. अतः प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाए की जाती हैं:-

- दिल्ली पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता के परिवार को तुरंत पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।
- पीड़िता पर हमले के वर्तमान मामले और आयोग के समक्ष पूर्व में दिये गए मामले- दोनों की त्वरित जाँच की जाए।
- शिकायतकर्ता श्रीमति रिंकि के हस्ताक्षर अलग- अलग प्रतीत है अतः जांचोपरांत सही पाए जाने पर संबन्धित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आयोग द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है।
- जांच टीम मे महिला पुलिसकर्मी को भी सम्मिलित किया जाए ।
- यदि आरोपी गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की सुसंगत धाराएँ लगाई जाएँ।
- भविष्य में आयोग के नोटिस का जवाब नियत समय पर दिया जाए।
- आयोग को दोनों मामलों की विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भेजी जाए।

प्रकरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/अनुपालन रिपोर्ट 10 दिनों की अवधि मे आयोग को प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-614/DL/6/2022-APCR

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Smt. Miranda Ingudam
Director

Shri R.K. Dubey
Deputy Director

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Officers from O/o Commissioner of Police, Delhi Police

Dr. Joy Tirkey
DCP, North East District, Delhi

Shri Vijay Pal Singh Tomar
ACP/Khajuri Khas

Shri Vipin Yadav
SHO/Karawal Nagar

Petitioner

NIL